



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2026

श्रावण 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 250/79-वि-1-2026-1-क-18-2026

लखनऊ, 17 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2026 कहलायेगा।

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2027 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 59019,54,10,000 रुपये (रुपये उनसठ हजार उन्नीस करोड़ चौवन लाख दस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2026-2027 के लिए 59019,54,10,000 रुपये का दिया जाना

विनियोग 3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची					
(धारायें 2 और 3 देखें)					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख स्मयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा		राज्य की समेकत निधि पर	योग
संख्या		स्वीकृत	भारित		
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	1.00	--	1.00
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	1502.79	--	1502.79
		पूंजी :	12500.00	--	12500.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	130301.92	--	130301.92
		पूंजी :	2090588.00	--	2090588.00
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	पूंजी :	2350.00	--	2350.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	695800.00	6427.00	702227.00
		पूंजी :	40000.00	--	40000.00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	24409.50	70.87	24480.37
		पूंजी :	1005.02	--	1005.02
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	13237.76	--	13237.76
		पूंजी :	15900.00	--	15900.00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	200.00	--	200.00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	8103.51	--	8103.51
		पूंजी :	1418471.95	--	1418471.95
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	15633.00	--	15633.00
		पूंजी :	13998.00	--	13998.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	2497.84	--	2497.84

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकित निधि पर	योग	
संख्या		स्वीकृत	भारित		
	(पशुधन)				
		पूंजी :	4486.66	--	4486.66
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	20425.10	--	20425.10
	(दुग्धशाला विकास)				
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	300.00	--	300.00
	(मत्स्य)				
		पूंजी :	600.00	--	600.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	250.00	--	250.00
	(सहकारिता)				
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य	पूंजी :	2520.75	--	2520.75
	व्यय)				
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	6638.39	--	6638.39
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	24486.35	--	24486.35
		पूंजी :	1001.74	--	1001.74
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1511.00	--	1511.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	3575.00	--	3575.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा	राजस्व :	10.00	--	10.00
	एवं प्रशिक्षण)				
		पूंजी :	10.00	--	10.00
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी	राजस्व :	110000.00	--	110000.00
	चिकित्सा)				
		पूंजी :	9600.00	--	9600.00
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं	राजस्व :	25.00	--	25.00
	यूनानी चिकित्सा)				
		पूंजी :	2300.00	--	2300.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	70425.00	--	70425.00

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा		राज्य की समेकित निधि पर	योग
संख्या		स्वीकृत	भारित		
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	2015.00	--	2015.00
		पूंजी :	4050.00	--	4050.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	12606.00	--	12606.00
		पूंजी :	6500.00	--	6500.00
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	800.00	--	800.00
		पूंजी :	51314.52	--	51314.52
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	91128.00	--	91128.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	1800.00	--	1800.00
		पूंजी :	24565.00	--	24565.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	73900.00	--	73900.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	146.28	--	146.28
		पूंजी :	1000.00	--	1000.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	70000.00	--	70000.00
		पूंजी :	1.00	--	1.00
60	वन विभाग	राजस्व :	14001.04	--	14001.04
		पूंजी :	23390.00	--	23390.00
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	10001.00	--	10001.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	48.00	--	48.00
67	विधान परिषद् सचिवालय	पूंजी :	2057.97	--	2057.97
68	विधान सभा सचिवालय	पूंजी :	1870.00	--	1870.00

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा		राज्य की समेकित निधि पर	योग
संख्या		स्वीकृत	भारित		
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	198.34	--	198.34
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	35125.64	--	35125.64
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी :	7450.00	--	7450.00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	पूंजी :	500.00	--	500.00
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	3550.00	--	3550.00
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	पूंजी :	1577.13	--	1577.13
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	पूंजी :	500.00	--	500.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	33861.84	--	33861.84
		पूंजी :	153.90	--	153.90
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	165500.00	--	165500.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	10972.16	--	10972.16
		पूंजी :	25582.00	--	25582.00
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	33119.09	--	33119.09
		पूंजी :	385916.02	--	385916.02
86	सूचना विभाग	राजस्व :	55000.00	--	55000.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	200.00	--	200.00
92	संस्कृति विभाग	पूंजी :	243.52	--	243.52
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	147.50	--	147.50

अनुसूची					
(समाप्त):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकत निधि पर	योग	
संख्या		स्वीकृत	भारित		
	योग :	राजस्व :	1733452.05	6497.87	1739949.92
		पंजी :	4162004.18	--	4162004.18
	महायोग :		5895456.23	6497.87	5901954.10

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है ।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके ।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2026-2027 का अनुपूरक) विधेयक, 2026 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव ।

No. 250(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-18-2026

Dated Lucknow, August 17, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2026-2027 ka Anupoorak) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2026. The Vitt (Aay-Vyayak) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2026-2027)
ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 28 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2027.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seven Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation Short title
(Supplementary 2026-2027) Act, 2026.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 59019,54,10,000 (Rs. fifty nine thousand nineteen crore fifty four lac ten thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2027 in respect of the services and purposes specified in Column-2 of the Schedule.

Issue of Rs.
59019,54,10,000
out of the
Consolidated Fund
of the State of
Uttar Pradesh for
the Year 2026-2027

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2027.

Appropriation

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
03 Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue :	1.00	--	1.00
06 Industries Department (Handloom Industry)	Revenue :	1502.79	--	1502.79
	Capital :	12500.00	--	12500.00
07 Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue :	130301.92	--	130301.92
	Capital :	2090588.00	--	2090588.00
08 Industries Department (Printing and Stationery)	Capital :	2350.00	--	2350.00
09 Power Department	Revenue :	695800.00	6427.00	702227.00
	Capital :	40000.00	--	40000.00
10 Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue :	24409.50	70.87	24480.37
	Capital :	1005.02	--	1005.02
11 Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue :	13237.76	--	13237.76
	Capital :	15900.00	--	15900.00
12 Agriculture & Other Allied Departments (Land Development & Water Resources)	Revenue :	200.00	--	200.00
13 Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Revenue :	8103.51	--	8103.51
	Capital :	1418471.95	--	1418471.95

SCHEDULE

--(Contd):

1		2		3	
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue :	15633.00	--	15633.00
		Capital :	13998.00	--	13998.00
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue :	2497.84	--	2497.84
		Capital :	4486.66	--	4486.66
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue :	20425.10	--	20425.10
17	Agriculture and Other Allied Departments (Fisheries)	Revenue :	300.00	--	300.00
		Capital :	600.00	--	600.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue :	250.00	--	250.00
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Capital :	2520.75	--	2520.75
20	Personnel Department(Public Service Commission)	Revenue :	6638.39	--	6638.39
21	Food and Civil Supplies Department	Revenue :	24486.35	--	24486.35
		Capital :	1001.74	--	1001.74
23	Cane Development Department (Cane)	Revenue :	1511.00	--	1511.00
26	Home Department (Police)	Revenue :	3575.00	--	3575.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	10.00	--	10.00

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
		Capital :	10.00	--	10.00
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	110000.00	--	110000.00
		Capital :	9600.00	--	9600.00
33	Medical Department (Ayurvedic and Unani)	Revenue :	25.00	--	25.00
		Capital :	2300.00	--	2300.00
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	70425.00	--	70425.00
36	Medical Department (Public Health)	Revenue :	2015.00	--	2015.00
		Capital :	4050.00	--	4050.00
43	Transport Department	Revenue :	12606.00	--	12606.00
		Capital :	6500.00	--	6500.00
47	Technical Education Department	Revenue :	800.00	--	800.00
		Capital :	51314.52	--	51314.52
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	91128.00	--	91128.00
50	Revenue Department (District Administration)	Revenue :	1800.00	--	1800.00
		Capital :	24565.00	--	24565.00
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	73900.00	--	73900.00
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	146.28	--	146.28

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)				
	Capital :	1000.00	--	1000.00	
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	70000.00	--	70000.00
	Capital :	1.00	--	1.00	
60	Forest Department	Revenue :	14001.04	--	14001.04
	Capital :	23390.00	--	23390.00	
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Capital :	10001.00	--	10001.00
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Revenue :	48.00	--	48.00
67	Legislative Council Secretariat	Capital :	2057.97	--	2057.97
68	Legislative Assembly Secretariat	Capital :	1870.00	--	1870.00
69	Vocational Education Department	Revenue :	198.34	--	198.34
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	35125.64	--	35125.64
72	Education Department (Secondary Education)	Capital :	7450.00	--	7450.00
73	Education Department (Higher Education)	Capital :	500.00	--	500.00
74	Home Department (Home guards)	Revenue :	3550.00	--	3550.00
76	Labour Department (Labour Welfare)	Capital :	1577.13	--	1577.13

SCHEDULE

(Contld):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
77	Labour Department (Employment)	Capital : 500.00	--	500.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Revenue : Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	33861.84	--	33861.84
	Capital :	153.90	--	153.90
80	Social Welfare Department (Social Welfare Revenue : & Welfare of Scheduled Castes)	165500.00	--	165500.00
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare) Revenue :	10972.16	--	10972.16
	Capital :	25582.00	--	25582.00
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes)	Revenue : 33119.09	--	33119.09
	Capital :	385916.02	--	385916.02
86	Information Department	Revenue : 55000.00	--	55000.00
87	Soldier's Welfare Department	Revenue : 200.00	--	200.00
92	Culture Department	Capital : 243.52	--	243.52
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue : 147.50	--	147.50
Total :		Revenue : 1733452.05	6497.87	1739949.92
		Capital : 4162004.18	--	4162004.18
Grant Total :		5895456.23	6497.87	5901954.10

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure *charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2026-2027.

The Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2026-2027) Bill, 2026 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 468 राजपत्र-2026-(1150)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 90 सा० विधायी-2026-(1151)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।